FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0153 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/06/2026 14:57 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 20/04/2026 **Date To (दिनांक तक):** 22/04/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:40 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/06/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 005 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/06/2026 14:57:04 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 65 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** PATWAR GHAR BHAWAN, RAJGARH JILA CHURU

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** AVINASH SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MAHIPAL SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO. 01, GUGLAWA, HAMIRWAS, CHURU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO. 01, GUGLAWA, HAMIRWAS, CHURU, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PAWAN KUMAR		पिता:BHADAR	1. SULKHNIYA CHHOTA,RAJGARH,HAMIRWAS,CHURU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** **(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 7,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)** **(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

निवेदन है कि दिनांक 20.04.2026 को परिवादी श्री अविनाश सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह, निवासी गुगलवा, पुलिस थाना हमीरवास जिला चूरु उपस्थित कार्यालय आया और श्री सुरेश चन्द पुलिस निरीक्षक के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र एवं गांव गुगलवा की जमाबन्दी खसरा नम्बर 40,43,45,56 एवं नामान्तरण से संबंधित कागजात की फोटोप्रति मय स्वयं का आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति इस आशय की पेश की कि सेवामें श्रीमान Ad sp साहब Acb झुंझुनूं (राज.) विषय रिश्वत लेते हुये पकड़वाने बाबत। श्रीमान जी निवेदन है कि मै अविनाश सिंह पुत्र स्व0 श्री महिपाल सिंह निवासी गुगलवा, तहसील राजगढ, जिला चूरु का मूल निवासी हूॅ। मेरे दादा जी के नाम खसरा न. 40, 43, 45, 56 की जमीन गांव गुगलवा तहसील राजगढ चूरु में है, जिसका नामान्तरण मेरे स्वयं के नाम होना है, जिस हेतु मै पटवारी श्री पवन कुमार पटवार हल्का हमीरवास से मिला तथा मैने मेरे कागजात भी उनको दिये, लेकिन उन्होने करीब तीन माह होने के बाद भी मेरा काम नही किया है, मैने उनको 2000 रुपये भी उसी समय दिये थे, मै तीन माह के दौरान 2 से 3 बार मिला वह मेरे से 8000 रुपये और रिश्वत की और मांग कर रहा है, मै उसको मेरे सही कार्य के लिए रिश्वत नही देना चाहता हूॅ रिश्वत लेते समय पटवारी को पकड़वाना चाहता हूॅ। रिपोर्ट करता हूॅ, कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 20.04.2026 एसडी प्रार्थी अविनाश सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह गांव गुगलवा, तहसील राजगढ जिला चूरु परिवादी श्री अविनाश सिंह ने दरियाफ्त पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है तथा प्रार्थना में अंकित तथ्य सही होना बताया और बताया कि मेरा श्री पवन कुमार से पहले का कोई उधार का लेनदेन नही है तथा मेरी उससे कोई रंजीश नही हैं।मै परिवार सहित किराये के मकान पर पिलानी में रहता हूॅ। परिवादी ने बताया कि खसरा नम्बर 40, 43, 45, 56 हमारा शामलाती खाता है जिसमें मेरे व मेरे परिवार के चाचा ताउ का नाम भी जमाबन्दी में हैं। मेरे पिताजी की मृत्यु होने से हमारी पैतृक कृषि भूमि में मेरे हिस्से की जमीन का नामान्तरण स्वयं के नाम करवाने के लिए मैने करीब 3 माह पहले श्री पवन कुमार पटवारी से सम्पर्क कर हमारी कृषि भूमि के कागजात के साथ प्रार्थना पत्र दिया था। श्री पवन कुमार पटवारी मेरे हिस्से की कृषि भूमि का नामान्तरण मेरे नाम से दर्ज करने की एवज में मेरे से पूर्व में 2000 रुपये रिश्वत के ले लिये तथा 8000 रुपये रिश्वत की मांग और कर परेशान कर रहा हैं। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया गया हैं। परिवादी ने बताया कि श्री पवन कुमार पटवारी का आज मिलना तय नही है। मै कल श्री पवन कुमार पटवारी का पता कर आपसे सम्पर्क करुंगा तब आप अपने कर्मचारी को मेरे पास राजगढ भिजवा देना। जिस पर श्री सुरेशचन्द पु.नि. द्वारा श्री ईशाक मोहम्मद कानि 40 का परिचय परिवादी से करवाया तथा परिवादी एवं श्री ईशाक मौहम्मद कानि को एक दुसरे के मोबाईल नम्बर का आदान प्रदान करवाया। श्री सुरेशचन्द पु.नि. द्वारा कार्यालय से डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय खाली मौमारी कार्ड निकाल मैमोरी कार्ड को डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगाकर देखा गया तो मैमोरी कार्ड में पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नही पाई गई। परिवादी को कार्यालय की डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु व बन्द करने की विधि समझाईश की गई। कानि श्री ईशाक मौहम्मद को परिवादी से सम्पर्क कर अग्रीम कार्यवाही की हिदायत की गई। परिवादी श्री अविनाश सिंह को आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया। दिनांक 21.04.2026 को श्री सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक द्वारा को परिवादी श्री अविनाश सिंह ने जरिये फोन बताया कि आज श्री पवन कुमार पटवारी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा सकता हूॅ। आप अपने किसी कर्मचारी को मेरे पास पिलानी भिजवा दो जिस पर श्री सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40 को कार्यालय की डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय खाली मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री अविनाश सिंह से सम्पर्क कर पिलानी के लिए के लिए रवाना किया गया। उसी दिन शाम को श्री ईशाक मौहम्मद कानि न0 40 गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु पिलानी गया हुआ हाजिर आया और पुलिस निरीक्षक को बताया कि परिवादी ने गोपनीय रुप से पटवारी श्री पवन कुमार का मालुमात किया तो आज पटवार घर राजगढ में नही आना बताया। जिस कारण आज रिश्वत मांग सत्यापन नही हो पाया। दिनांक 22.04.2026 को परिवादी श्री अविनाश सिंह ने पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल कॉल कर बताया कि मेरी आज पटवारी श्री पवन कुमार से बात हुई है जिन्होने मुझे राजगढ पटवार भवन बुलाया है। आप अपने किसी कर्मचारी को मेरे पास राजगढ भिजवा दो। जिस पर पुलिस निरीक्षक ने जरिये मोबाईल फोन कार्यालय के श्री ईशाक मौहम्मद कानि को कार्यालय से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड लेकर परिवादी श्री अविनाश सिंह से सम्पर्क कर राजगढ जाने की हिदायत की गई। समय 2.42 पी.एम. पर श्री ईशाक मौहम्मद कानि ने जरिये मोबाईल काल

कर पुलिस निरीक्षक को बताया कि निर्देशासनुसार रवाना होकर राजगढ पहुंच परिवादी श्री अविनाश सिंह से सम्पर्क किया जो बस स्टेण्ड पर आया। मै तथा परिवादी रवाना हो पटवार घर के पास पहुंचे तथा परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमेारी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर चालु कर सुपूर्द किया तथा परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु पटवार घर के लिए रवाना किया। मै पटवार घर के बाहर अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकिम हुआ। कुछ समय बाद परिवादी वापस आया जिनसे डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने बताया कि श्री पवन कुमार पटवारी के पास काफी लोग अपने काम के लिए आये हुये थे इस कारण उनसे बात नही हो पाई। कुछ समय बाद परिवादी को पुनः डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु कर पटवार घर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया तथा मै वही अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकिम हुआ। करीब घण्टे भर बाद परिवादी पटवार घर से बाहर आया जिनसे डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी श्री अविनाश सिंह ने बताया कि मेरी श्री पवन कुमार पटवारी से बात हो गई है जिन्होने मेरे पक्ष में नामान्तरण दर्ज करने की एवज में दो हजार रुपये पहले लेना स्वीकार किया तथा 7000 रुपये और रिश्वत की मांग की है तथा रिश्वत राशि देने के लिए कल दिनांक 23.04.2026 को सम्पर्क करने के लिए कहा है। कानि0 ईशाक मौहम्मद ने अपने फोन से परिवादी श्री अविनाश सिंह की भी वार्ता पुलिस निरीक्षक से करवाई तो परिवादी ने भी कानि0 द्वारा बताई गई बातो की पुष्टी की जिस पर परिवादी श्री अविनाश सिंह को रिश्वत राशि 7000 रुपये लेकर कल दिनांक 23.04.2026 को एसीबी कार्यालय झुंझुनूं आने की हिदायत की गई एवं कानि को कार्यालय में आने की हिदायत की गई। उसी दिन शाम को कानि ईशाक मौहम्मद बाद गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन कर वापस आया तथा डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, फर्द सुपूर्दगी डिजिटल वॉयस रिकार्डर पेश किये। पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चला कर सुना तो कानि एवं परिवादी द्वारा मोबाईल फोन पर बताई गई बातो की पुष्टी होना पाई गई। डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं फर्द सपुर्दगी डिजिटल वॉयस रिकार्डर को सुरक्षित आलमारी में रखा गया। दिनांक 23.04.2026 को पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री पिकूं कुमार पुत्र सहायक वनपाल, कार्यालय क्षेत्रिय वन अधिकारी झुंझुनूं हाजिर कार्यालय आये। परिवादी श्री अविनाश सिंह गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हाजिर कार्यालय आया। पूर्व से उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश कुमार एवं श्री पिकूं कुमार का परिवादी श्री अविनाश सिंह से आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व समझाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह सहमती चाही तो दोनो ने स्वेच्छा से बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति दी। दोनो स्वतंत्र गवाहान से परिवादी के प्रार्थना पर हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री अविनाश सिंह के प्रार्थना पत्र पर संदिग्ध आरोपी श्री पवन कुमार पटवारी, पटवार हल्का हमीरवास तहसील राजगढ जिला चूरु के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही में पीतल की नमूना सील न0 10 तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। फर्द नमूना सील की एक प्रति गवाह श्री दिनेश कुमार को दी गई। परिवादी श्री अविनाश सिंह द्वारा दिनांक 22.04.2026 को आरोपी श्री पवन कुमार पटवारी, पटवार हल्का हमीरवास, तहसील राजगढ जिला चूरु से हुई रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय के कम्प्युटर में लगाकर रिकार्ड वार्ता को परिवादी श्री अविनाश सिंह एवं दोनो स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार एवं श्री पिंकू कुमार की उपस्थिति में रिकार्ड वार्ता का फर्द वार्ता रुपान्तरण कानि0 ईशाक मौहम्मद न. 40 से तैयार करवाई गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया । डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कम्प्युटर से जोडकर उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव कम्पनी GEONIX16GB के तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड किये जाने वाले पेनड्राईव की हैश वैल्यु पृथक से निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव GEONIX16GB को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क ए अंकित किया गया। एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुले रखे गये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड HIKVISION8GB को निकालकर उसे उसी की पैकिंग में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को सीलड कर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क ए-1 अंकित किया। सीलड पैकेटों को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। पेनड्राईव को कम्प्युटर एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं एक आवाज आरोपी श्री पवन कुमार की आवाज होने की पहचान की है। फर्द रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री अविनाश सिंह को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने की कहने पर परिवादी ने अपने पास से 7000 रूपये भारतीय मुद्रा के पॉच-पॉच सौ रूपये के 14 नोट कुल 7000 रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर में अंकित करवाकर नोटो पर श्री दलीप कुमार कानि 10 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री दिनेश कुमार से परिवादी श्री अविनाश सिंह की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 7000 रूपये के नोट श्री दलीप कुमार कानि. 10 से परिवादी श्री अविनाश सिंह की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में

सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी श्री अविनाश सिंह को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्षन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। श्री दलीप कुमार कानि 10, परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन के लिए काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों व कॉच की शीषियों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईषारे बाबत् समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर में नया खाली मैमोरी कार्ड को चलाकर देखा गया तो मैमोरी कार्ड में पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड नही होना पाई गई। उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक रिकार्ड करने हेतु श्री ईशाक मौहम्मद कानि 40 को सुपूर्द किया गया। श्री सुरेश चन्द पुलिस निरीक्षक मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री करण सिंह हैड कानि., श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि, श्री कुमार सानू कानि 138, श्री ईशाक मौहम्मद कानि 40, श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81, श्री राकेश कुमार कानि 243 श्री प्रमोद पूनियां क0स0 स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार एवं श्री पिंकू कुमार, परिवादी श्री अविनाश सिंह मय सरकारी वाहन चालक श्री जगदेव सिंह मय लेपटोप प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स के एवं प्राईवेट वाहन से एसीबी कार्यालय झुंझुनूं से गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु पटवार भवन, कोर्ट परिसर के बाहर राजगढ पहूंच वाहनों को साईड में खड़ा करवाया गया। परिवादी श्री अविनाश सिंह एवं समस्त जाप्ता को आवश्यक समझाईश की गई। परिवादी श्री अविनाश सिंह को डिजिटल वायॅस रिकार्डर चालु कर सुपूर्द किया तथा परिवादी को पटवार भवन में श्री पवन कुमार पटवारी के पास रिश्वत देने हेतु रवाना किया गया। परिवादी के पिछे पिछे कानि ईशाक मौहम्मद को रवाना किया गया। पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्यो के पटवार भवन के आसपास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के तय ईशारे के इंतजार में मुकिम हुये। कुछ समय बाद परिवादी श्री अविनाश सिंह बिना ईशारा किये पटवार भवन से बाहर आया जिससे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया। परिवादी ने बताया कि पटवार भवन के अंदर श्री पवन कुमार पटवारी अपनी सीट पर नही है। उनकी सीट की टेबल पर उनका बैग तथा अन्य कागजात वगैरह रखे हुए है। वहां उपस्थित अन्य लोगों से पुछताछ करने पर बताया कि वो कोई काम से बाहर गये हुये है शायद थोडी समय में आ जायेगे। जिस पर संदिग्ध आरोपी के इंतजार में पटवार भवन के आस पास मुकिम हुये। थोड़ी देर बाद परिवादी श्री अविनाश सिंह को पुनः डिजिटल वायॅस रिकार्डर चालु कर सुपूर्द कर पटवार भवन में श्री पवन कुमार पटवारी के पास रिश्वत देने हेतु रवाना किया गया। परिवादी के पिछे पिछे कानि ईशाक मौहम्मद को रवाना किया गया। पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्यो के पटवार भवन के आसपास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के तय ईशारे के इंतजार में मुकिम हुये। कुछ समय बाद परिवादी श्री अविनाश सिंह पुनः बिना ईशारा किये पटवार भवन से बाहर आया जिससे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया। परिवादी ने बताया कि श्री पवन कुमार पटवारी अभी भी अपनी सीट पर नही आया है। जिस पर संदिग्ध आरोपी के इंतजार में पटवार भवन के आस पास पुनः मुकिम हुये। फिर थोड़ी देर बाद परिवादी श्री अविनाश सिंह को पुनः डिजिटल वायॅस रिकार्डर चालु कर सुपूर्द कर पटवार भवन में श्री पवन कुमार पटवारी के पास रिश्वत देने हेतु रवाना किया गया। परिवादी के पिछे पिछे कानि ईशाक मौहम्मद को रवाना किया गया। पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्यो के पटवार भवन के आसपास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के तय ईशारे के इंतजार में मुकिम हुये। कुछ समय बाद परिवादी श्री अविनाश सिंह पुनः बिना ईशारा किये पटवार भवन से बाहर आया जिससे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया। परिवादी ने बताया कि पटवार भवन के दरवाजे पर ताला लगा दिया है। अब श्री पवन कुमार पटवारी के आने की सम्भावना नही है। जिस पर पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के राजगढ से रवाना होकर एसीबी चौकी झुंझुनूं पहुचे। परिवादी श्री अविनाश सिंह की पहनी पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखी रिश्वती राशि 7000 रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार से निकलवाकर एक सफेद लिफाफे में डलवाई तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुरक्षित कार्यालय में रखवाये गये। परिवादी श्री अविनाश सिंह एवं स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक हिदायत कर कार्यालय से रूखस्त किया गया। दिनांक 24.04.2026, 27.04.2026, 28.04.2026 को पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री अविनाश के मोबाइल पर अपने मोबाइल से संपर्क किया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी पटवारी पवन कुमार ने अभी तक मेरे से संपर्क नही किया है। दिनांक 29.04.2026 को परिवादी श्री अविनाश सिंह के मोबाइल से पुलिस निरीक्षक के मोबाइल पर फोन आया व बताया कि आज मैनें आरोपी पटवारी पवन कुमार के मोबाइल पर फोन किया तो घंटी गयी, दुबारा किया तो स्वीच ऑफ कर लिया। शायद पटवारी को शक हो गया। अब आरोपी पटवारी मेरे से पैसे नही लेगा जिस पर पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की गयी। दिनांक 30.04.2026 को परिवादी श्री अविनाश सिंह उपस्थित कार्यालय आया व पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैनें कल दिनांक 29.04.2026 को आरोपी पटवारी पवन कुमार मोबाइल पर फोन किया तो पहले घंटीsss गयी, दुबारा किया तो स्वीच ऑफ कर लिया। शायद पटवारी को शक हो गया। अब आरोपी पटवारी मेरे से पैसे नही लेगा, इस संबंध में मेरे गांव में मेरे को एक दो आदमियो ने कहा कि आपने पटवारी के खिलाफ कार्यवाही करवायी

है इससे मुझे स्पष्ट जाहिर है कि आरोपी पटवारी पवन कुमार अब मेरे से पैसे नही लेगा व ट्रेप कार्यवाही होना अब असंभव है । पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री अविनाश सिंह की उपस्थिति में आरोपी श्री पवन कुमार पटवारी में प्रादर्शो को सील्ड करने में काम मे ली गई पीतल की सील नम्बर 10 को कार्यालय के श्री कुमार सानु कानि 138 से नष्ट करवायी गयी। परिवादी श्री अविनाश सिंह द्वारा पूर्व में ट्रेप कार्यवाही में उपलब्ध करवायी गई रिश्वत राशि 7000 रूपये वापिस लौटोने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर रिश्वती राशि 7000 रूपये को फिनोफ्थलीन पाउडर मुक्त कर परिवादी को लौटाई गयी। आरोपी श्री पवन कुमार वरिष्ठ पटवारी पंचायत समिति गोठ्या बड़ी, तहसील राजगढ़ जिला चूरू ने परिवादी श्री अविनाश सिंह से उनके दादाजी के नाम गांव गुगलवा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में खसरा नम्बर 40,43,45,56 की जमीन का नामान्तरण स्वयं के नाम करने के लिये आवेदन के उपरान्त आरोपी श्री पवन कुमार पटवारी से मिला तो आरेापी ने परिवादी का कार्य करने के लिये 2000 रूपये रिश्वत के उसी समय ले लिये और 8000 रूपये रिश्वत की मांग की। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.04.2026 को परिवादी श्री अविनाश सिंह व आरोपी श्री पवन कुमार पटवारी के मध्य हुई वार्ता के दौरान आरोपी श्री पवन कुमार पटवारी परिवादी से कहता है कि पैमेन्ट लाये हो क्या इस पर परिवादी कहता है कि हां तब आरोपी कहता है कि काल सुबह सम्पर्क करना इस पर परिवादी कहता है कि कल यही मिलोगे क्या तब आरोपी कहता है कि आपको सोने के जैसा काम करके दे रहे है इस पर परिवादी कहता है कि सात लाकर देउ तब आरोपी कहता है कि ला देना यार आप बिल्कुल ही........मैं पिलानी मिलुंगा आप से इस पर परिवादी कहता है कि पिलानी मिल लेना चाहे सात में काम निकाल लो एक बार तब आरोपी कहता है कि ठीक है सात बाकी रहे हुये है आपके इस पर परिवादी कहता है कि हां तब आरोपी कहता है कि सात और बाकी रह रहे है इस पर परिवादी कहता है कि हां सात और बाकी है। इस प्रकार आरोपी श्री पवन कुमार पटवारी द्वारा परिवादी श्री अविनाश सिंह के दादाजी के नाम की जमीन का नामान्तरण स्वयं के नाम करने एवज में 7,000 रुपये रिश्वत की मांग करना पाया गया है। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री पवन कुमार वरिष्ठ पटवारी पंचायत समिति गोठ्या बड़ी, तहसील राजगढ़ जिला चूरू द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री अविनाश सिंह से उनके दादाजी के नाम गांव गुगलवा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में खसरा नम्बर 40,43,45,56 की जमीन का नामान्तरण स्वयं के नाम करने के लिये आवेदन करने के पश्चात आरोपी श्री पवन कुमार पटवारी से संपर्क किया तो आरोपी पटवारी ने परिवादी के नाम जमीन का नामान्तरण करने के लिये 2000 रूपये रिश्वत के उसी समय ले लिये और 8000 रूपये रिश्वत की और मांग करना एवम् दिनांक 22.04.2026 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री पवन कुमार पटवारी द्वारा 7000 रूपये रिश्वत की मांग करना अन्तर्गत अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का दण्डनीय कृत्य है। अत आरोपी श्री पवन कुमार पुत्र श्री भादर उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम सुलखनिया छोटा, पुलिस थाना हमीरवास, तहसील राजगढ़ जिला चूरू हाल वरिष्ठ पटवारी पंचायत समिति गोठ्या बड़ी, तहसील राजगढ़ जिला चूरू के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस एसीबी जयपुर को प्रेषित है। (नरेन्द्र कुमार पूनियां) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं।......कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्र कुमार पूनियां, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पवन कुमार पुत्र श्री भादर, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम सुलखनिया छोटा, पुलिस थाना हमीरवास, तहसील राजगढ़ जिला चूरू हाल वरिष्ठ पटवारी पंचायत समिति गोठ्या बड़ी, तहसील राजगढ़ जिला चूरू के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 136 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 936-39 दिनांक 08.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर 2- जिला कलक्टर, चूरू 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** Subhash Meel **Rank** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): **(पद):**

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/06/2026 14:58:51

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)